न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 40/2020 (उदयपुर डिक्री)

1. गुरूमीत उर्फ गुरूमुख सिंह पिता श्री संतोष सिंह सिक्ख (सरदार), निवासी खेरवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. जसबीर सिंह पिता श्री संतोष सिंह सिक्ख (सरदार), निवासी खेरवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
3. नरेन्द्र सिंह पिता श्री संतोष सिंह सिक्ख (सरदार), निवासी खेरवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
4. रणजीत सिंह पिता श्री संतोष सिंह सिक्ख (सरदार), निवासी खेरवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती कुलदीप कौर पुत्री श्री संतोष सिंह सिक्ख (सरदार), निवासी खेरवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती चरणजीत कौर पुत्री श्री संतोष सिंह सिक्ख (सरदार), निवासी खेरवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. जोगेन्द्र सिंह पिता श्री निरंजन सिंह सिक्ख (सरदार), निवासी खेरवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. कुलबीर सिंह पिता श्री निरंजन सिंह सिक्ख (सरदार), निवासी खेरवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती मीरा पत्नी श्री बलवीर सिंह सिक्ख (सरदार), निवासी खेरवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
4. हरभजन सिंह पिता श्री बलवीर सिंह सिक्ख (सरदार), निवासी खेरवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती मनजीत कौर पुत्री श्री निरंजन सिंह सिक्ख (सरदार), निवासी खेरवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती इन्दरजीत कौर पुत्री श्री निरंजन सिंह सिक्ख (सरदार), निवासी खेरवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
7. धनपाल पिता श्री वेणीचन्द जैन, निवासी खेरवाड़ा, हाल मुकाम 113, सेक्टर नंबर 11, मनवाखेड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती कल्पना पत्नी श्री धनपाल जैन, निवासी खेरवाड़ा, हाल मुकाम 113, सेक्टर नंबर 11, मनवाखेड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
10. उप–रजिस्ट्रार तहसीलदार खेरवाड़ा ([illegible] अधिकारी), खेरवाड़ा

.... रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:32 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, खेरवाड़ा दिनांक
06–03–2020 प्रकरण संख्या 18/2006

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री हर्षद जोशी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री उत्तम चन्द सोमानी अभि. रे. सं. 7, 8
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभि. रे.सं. 9, 10

———::———

निर्णय दिनांक 19–09–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गांव बडला, तहसील खेरवाड़ा में हाल आराजी नंबर 165 रकबा 0.27 हैक्टर, 166 रकबा 0.10 हैक्टर एवं 3153/163 रकबा 0.06 हैक्टर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 खेरवाड़ा रतनपुर रोड़ पर स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर क्रमशः 152 मीन, 152 मीन एवं 152 थे। यह भूमि पूर्व में वादीगण के पितामह एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता आत्मसिंह पिता वैशाखसिंह को नियमानुसार आवंटित हुई थी, लेकिन विरासत से केवल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गयी, जबकि आत्मसिंह के तीन पुत्र निरंजन सिंह, संतोष सिंह एवं भजनसिंह हुए। निरंजन सिंह एवं संतोष सिंह के उत्तराधिकारी वादीगण हैं। उक्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 भजनसिंह का 1/3 हिस्सा, निरंजन सिंह के वारिसान का 1/3 हिस्सा एवं संतोष सिंह के वारिसान का 1/3 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का विधिवत विभाजन किया जाकर वादी 1 से 7 को 1/3 हिस्सा का, वादी संख्या 8 से 13 को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09–10–2003 को वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। दिनांक 20–02–2006 को प्रकरण पुनः नंबर पर लिया जाकर प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। दिनांक 23–06–2006 को प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाबुल जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत [illegible] गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30–03–2007 को 5 [illegible] की गयी तथा उभयपक्षों

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:32 IST
Reason: SelfAttested

को सुकन दिनांक 18–03–2011 को वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिसके विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 27–06–2011 को अपील खारिज कर दी गयी।

दिनांक 10–01–2020 को हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 व 8 की ओर से आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आप न्यायालय द्वारा दिनांक 18–03–2011 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है तथा अंतिम डिक्री हेतु प्रकरण आप न्यायालय में विचाराधीन है। विवादित आराजियात में भजनसिंह के वारिस परमजीत सिंह द्वारा अपना 1/3 हिस्सा दिनांक 09–05–2018 को प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया है, जिससे उन्हें प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27–01–2020 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण में दिनांक 06–03–2020 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–06–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 व 8 की ओर से अभिभाषक श्री उत्तम चन्द सोमानी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 व 10 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी उन्हें सर्वप्रथम दिनांक 04–06–2020 को कोरोना महामारी के पश्चात् पत्रावलियों का पता करने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में डिक्री का निर्णय पूर्व में हो चुका था,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:32 IST
Reason: SelfAttested

केवल विभाजन की डिक्री जारी करनी शेष थी, पर्चा मौका पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया। बंटवारा फहरिस्त अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है, जो बंटवारा फहरिस्त के अवलोकन से स्पष्ट है, जिस पर अपीलान्टगण के हस्ताक्षर नहीं हैं। आराजी नंबर 163 जो सड़क से लगती हुई भूमि है, उसका अधिकांश हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में रखा गया है। बंटवारा नियमानुसार नहीं किया गया है, जिससे अपीलान्टगण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–03–2020 निरस्त फरमायी जावे तथा विधिवत बंटवारा करने हेतु प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री को विधि अनुसार बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव दिनांक 02–03–2020 के आधार पर निर्णय पारित किया है। हालांकि उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलान्टगण उपस्थित नहीं थे, किन्तु उक्त विभाजन प्रस्ताव में सभी पक्षों का लगभग समान रकबा रखा गया है। ऐसी स्थिति में हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। तद्नुसार अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–03–2020 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 19–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:32 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....

व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

गुरूमीत उर्फ गुरूमुखसिंह पिता संतोषसिंह सिख (सरदार), निवासी खेरवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **जोगेन्द्रसिंह पिता निरंजनसिंह सिख (सरदार), निवासी खेरवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**40 / 2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....खेरवाड़ा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**06**.....माह.....**03**.....**2020**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**19**.....माह.....**09**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री हर्षद जोशी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व..... **श्री उत्तमचन्द सोमानी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–03–20120 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....

...

अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**19**.....माह.....**09**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:32 IST
Reason: SelfAttested